विविध पत्रावली 2025/000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

दक्षवीर सिंह मान बनाम गुरप्रताप सिह व अन्य

प्रकरण संख्या 2025/051

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
20.05.2025	वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 02 जून, 2025 को पेश हो.	
02/06/25	अधिवक्ता वादी उप. प्रति. सं. 01 व 03 [illegible]	[illegible]
24/06/25	अधिवक्तागण उप. प्रति. सं. 02 [illegible]	[illegible]
04/07/25	[illegible]	[illegible] (गुरमीत सिंह) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:45:37 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S
वाद संख्या 51/2025
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

दक्षवीर सिंह मान पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.... वादी

ब नाम

1. गुरप्रताप सिंह पुत्र श्री मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर
2. गुरमीत सिंह पुत्र श्री गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर ।
3. मनिन्द्र सिंह मान पुत्र श्री गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 से 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 05 जुलाई 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वाके वाके चक 12 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 88/22 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वाके चक 12 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 88/22 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के कुल 2 उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उनकी सहमति से ही उक्त भूमि वादी को दी है। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की कृषि भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढ़ा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की कृषि भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 01.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। अन्त में वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वाके चक 12 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 88/22 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी दक्षवीर सिंह मान पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:25:37 IST
Reason: SelfAttested

चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी का नाम दर्ज किया जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 12 एच एच तहसील श्रीगंगानगर संलग्न कर प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा स्वरूप इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता रोबिन ... के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। प्रति सं0 4 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय तथ्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 12 एच एच तहसील श्रीगंगानगर एवम् वाद पत्र व इकबाली जवाब दावा के अनुसार अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि वाके चक 12 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/22 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी दक्षवीर सिंह मान पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जाता है। अतः उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 जुलाई 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:25:37 IST
Reason: SelfAttested

मनवाद 2025/030

1

डिक्री
(Order 20 Rule 6-7 CPC)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता R.A.S.

दक्षवीर सिंह मान पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ...... वादी

ब ना म

1. गुरप्रताप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर
2. गुरमीत सिंह पुत्र श्री गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर ।
3. मनिन्द्र सिंह मान पुत्र श्री गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रति. संख्या 1 से 3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 04 जुलाई 2025

वाद संख्या 51/2025
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधि.प्रति.सं 1 ता 3 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि वाके चक 12 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 88/22 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी दक्षवीर सिंह मान पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोपित किया जाता है। अतः उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी का नाम दर्ज किया जावे। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूप्ये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूप्ये.....शून्य..आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 जुलाई 2025 को जारी की गई।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:25:37 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर